मेहबूब बटचा व अन्य

बनाम

राज्य का प्रतिनिधित्व जरिए पुलिस अधीक्षक

(आपराधिक अपील संख्या 1511 वर्ष 2003)

29 मार्च 2011

[मार्कण्डेय काटजू और ग्यान सुधा मिश्राए जेजे.]

हिरासत में हिंसा- आरोपी- पुलिस कर्मियों ने प्रदर्श-1 के पति को गलत तरीके से पुलिस हिरासत में बंद कर दिया और उसे पीट-पीटकर मार डाला और पुलिस स्टेशन के परिसर के भीतर बर्बर तरीके से प्रदर्श 1 के साथ सामूहिक बलात्कार किया। निचली अदालतों द्वारा दोषसिद्धि एक आरोपी को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी जबकि अन्य आरोपियों को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी। अपील में निर्धारितरू आरोपी किसी भी दाया के पात्र नहीं हैं और उन्हें मौत की सजा दी जानी चाहिए। हालांकिए किसी भी आरोपी पर धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप नहीं लगाया गया और इसके बजाय निचली अदालतों ने प्रदर्श 1 के पति की मौत को आत्महत्या माना। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों इस संबंध में अपने कर्तव्य में विफल रहे। सामान्य स्थिति में सुप्रीम कोर्ट सजा बढ़ाने का नोटिस जारी कर सकता थाए लेकिन जैसा कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत कोई आरोप तय

नहीं किया गया थाए उस प्रावधान के तहत दोषसिद्धि को सीधे दर्ज नहीं किया जा सकता है और सजा को बढ़ाया नहीं जा सकता है- दंड संहिता 1860 - धारा 302।

हिरासत में हिंसा-अपराध-अभिनिर्धारित कठोर दंड की मांग- हिरासत में हिंसा डी.के. बसु प्रकरण में इस न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन है। डी.के. बसु के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने के लिए एस.एच.ओ. स्तर तक के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश।

महिलाओं के खिलाफ अपराध-अभिनिर्धारितः महिलाओं के खिलाफ अपराध गुस्से में या संपत्ति के लिए किये गये सामान्य अपराध नहीं है। वे सामाजिक अपराध हैं। वे पूरे सामाजिक ताने बाने को बाधित करते हैं और इसलिए वे कठोर दंड की मांग करते हैं।

आरोपी अपीलकर्ता पुलिसकर्मी है। जिन्होंने चोरी के संदेह में प्रदर्श 1 के पति को गलत तरीके से चार दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा और उसे लाठियों से पीट.पीटकर मार डाला और पुलिस स्टेशन के परिसर के भीतर बर्बर तरीके से पीण्डब्ल्यूण्1 के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया। अभियुक्तों ने कई अन्य व्यक्तियों ;जो गवाह थेद्ध को भी थाने में बंद कर दिया और लाठियों से पीटा। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने अपीलकर्ताओं को दोषी पाया। इसलिए तत्तकाल अपील की गयी।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया :

1. विचारण न्यायालय और हाई कोर्ट के फैसले से असहमत होने का कोई कारण नहीं है। यदि कभी कोई ऐसा मामला था जिसमें मृत्युदण्ड की जरूरत थीए तो वह यही मामला था। लेकिन यह बेहद अफसोस की बात है कि न केवल ऐसा कोई जुर्माना नहीं लगाया गयाए बल्कि निचली अदालतों द्वारा आरोपी के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप भी तय नहीं किया गया। [पैरा 1,5] [1095-ई; 1096-बी]

2. आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 37 गवाहों से पूछताछ की और उन्होंने उचित संदेह से परे आरोपी का अपराध साबित कर दिया। पीण्डब्ल्यूण्1 ने अपने साक्ष्य बहुत विस्तार से दिये हैं और उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। उसके साक्ष्य से उस अमानवीय और बर्बर तरीके का पता चलता है जिसमें आरोपीए जो पुलिस कर्मी थेए ने पीण्डब्ल्यूण्1 और उसके पति के साथ व्यवहार किया। आमतौर पर कोई भी स्वाभिमानी महिला अपने सम्मान के खिलाफ ऐसा अपमानजनक बयान देने के लिए अदालत में आगे नहीं आएगी। [पैरा 5, 6 और 8] [1096-बी-सी; 1101-जी]

3. यद्यपि अभियुक्त.अपीलकर्ताओं ने प्रदर्श 1 के साक्ष्य में कुछ विसंगतियों का उल्लेख किया है लेकिन यह अच्छी तरह से स्थापित है कि छोटी विसंगतियां अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता को नष्ट नहीं कर सकती हैं। अभियोजन पक्ष के मामले में कोई बड़ी विसंगति नहीं है जिसे बड़ी संख्या में गवाहों के साक्ष्य द्वारा समर्थित किया गया है जिनमें शामिल

हैं घायल गवाहों प्रदर्श 1 की गवाही के अलावाए जिन्होंने पहचान परेड में अभियुक्तों की पहचान की। हालांकि ए 10 की पहचान उसके द्वारा नहीं की गयी थी लेकिन उच्च न्यायालय ने उसे दोषी ठहराने के लिए अच्छे कारण भी दिए हैं और यह न्यायालय भी उससे सहमत है। [पैरा 9] [1101-एच; 1102-ए-बी]

4. प्रदर्श 1 की जांच करने वाले चिकित्सा अधिकारी को उसके स्तनों पर नाखून की कई खरोंचें मिलीं। उसने अपने प्राइवेट पार्ट में तेज दर्द की शिकायत की। उसकी योनि और गर्भाशय ग्रीवा पर कई खरोंचें थीं और दुर्गंधयुक्त तरल पदार्थ निकल रहा था। उसके योनि स्मीयर के रासायनिक विश्लेषण में प्रचुर मात्रा में मवाद कोशिकाएं और एपिथेटिकल कोशिकांए दिखाई दीं। महिलाओं के विरूद्ध अपराध गुस्से में या संपत्ति के लिए किये गये सामान्य अपराध नहीं है। ये सामाजिक अपराध हैं। वे पूरे सामाजिक ताने बाने को बाधित करते हैं और इसलिए वे कठोर दंड की मांग करते हैं। पुलिसकर्मियों द्वारा प्रदर्श 1 के साथ जिस भयानक तरीके से व्यवहार किया गया वह चैंकाने वाला और नृशंस था और किसी भी दया की आवश्यकता नहीं थी। [पैरा 10, 11 और 12] [1102-सी-एफ]

सत्यनारायण तिवारी उर्फ जॉली व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य जेटी 2010 (12) एससी 154; सुखदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य, एएसएलपी (आपराधिक) संख्या 8917 ऑफ 2010 का फैसला दिनांक 12.11.2010 को हुआ आधारित।

5. चोटें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संकेतित दिखाती हैं कि किस भयानक तरीके से प्रदर्श 1 के पति को पुलिस हिरासत में पीटा गया और मार दिया गया। यह आश्चर्य की बात है कि आरोपियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप नहीं लगाये गये और इसके बजाय निचली अदालतों ने प्रदर्श 1 के पति की मौत को आत्महत्या माना। वास्तव में उन पर उस प्रावधान के तहत आरोप लगाया जाना चाहिए था और उन्हें मौत की सजा दी जानी चाहिए थी क्योंकि पुलिस हिरासत में पुलिसकर्मियों द्वारा हत्या मौत की सजा के योग्य दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में हैए लेकिन आश्चर्य की बात है कि किसी भी आरोपी के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत कोई आरोप तय नहीं किया गया था। इस संबंध में एक विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों अपने कर्तव्य में विफल रहे। [पैरा 14 15] [1103-एफ-जी; 1104-ए-बी]

6. पूरी घटना पुलिस स्टेशन परिसर के भीतर हुई और आरोपी किसी भी दया के पात्र नहीं हैं। इस अपील में अपीलकर्ता नंबर 1 को तीन साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा दी गयीए जबकि अन्य अपीलकर्ताओं को दस साल के कठोर कारावास और जुर्मान की सजा दी गयी है। सामान्य प्रक्रिया मेंए यह न्यायालय सजा में वृद्धि का नोटिस जारी कर सकता थाए लेकिन चूंकि धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत कोई आरोप तय नहीं किया गया थाए इसलिए उस प्रावधान के तहत

दोषसिद्धि को सीधे दर्ज नहीं किया जा सकता है और सजा को बढ़ाया नहीं जा सकता है। [पैरा 16, 17 और 18] [1104-सी-ई]

7. पुलिस हिरासत में हिरासत में हिंसा डी.के. बसु मामले में दिये गये इस न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन है। देश के सभी पुलिसकर्मियों को चेतावनी दी जाती है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में अभियुक्तों के बर्बर आचरण का ग्राफिक विवरण इस अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देता है। पुलिसकर्मियों को सीखना चाहिए कि एक लोकतांत्रिक देश में लोक सेवक के रूप में कैसे व्यवहार किया जाएए न कि लोगों पर अत्याचार करने वाले के रूप में। इस आदेश की एक प्रति सभी राज्यों और कंेद्र शासित प्रदेशों के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को भेजने का निर्देश दिया गया हैए जो इसे प्रसारित करेंगे। स्तर तक के सभी पुलिस अधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि उन्हें डी.के बसु मामले में न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा। हिरासत में हिंसा के लिए कड़ी सजा दी जाएगी। [पैरा 20, 22 1104-एफ-जी; 1106-डी-ई]

डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगला राज्य 1997 (1) एससीसी 416 संदर्भित।

केस कानून संदर्भित

जेटी 2010 (12) एससी 154	भरोसा किया	पैरा 11
1997 (1) एससीसी 416	संदर्भित किया	पैरा 20

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार आपराधिक अपील संख्या 1511/2003

मद्रास उच्च न्यायालय के 1997 की आपराधिक अपील संख्या 677 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 28.11.2002 से।

अपीलकर्ताओं की ओर से एस. शुनमु गवलेयुथम, के.के मणि, अभिषेक कृष्णा, मूयर आर शाह।

प्रत्यर्थीगण की ओर से आर. सनमुगसुंदरम, प्रोमिला, एस. धानंजयन।

न्यायालय का निर्णय मार्कण्डेय काटजू जे. द्वारा सुनाया गया।

"बने हैं अहल.इ.हवस मुद्दई भी मुंसिफ भी

किसे वकील करें किससे मुंसिफ चाहें"

फैज़ अहमद फैज़

1. यदि कभी कोई ऐसा मामला था जिसमें मृत्युदंड की चाहता थाए तो वह यही मामला थाए लेकिन यह बेहद अफसोस की बात है कि न केवल ऐसा कोई जुर्माना नहीं लगाया गयाए बल्कि निचली अदालतों द्वारा आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप भी तय नहीं किया गया।

2. पक्षों के विद्वान वकील को सुना।

3. उच्च न्यायालय के साथ-साथ विचारण न्यायालय कोर्ट के आक्षेपित फैसले में भी तथ्यों को विस्तार से बताया गया है और इसलिए जहां आवश्यक हो उसे छोड़कर हम यहां उसे नहीं दोहरा रहे हैं।

4. अपीलकर्ता पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने 30.5.1992 से 02.6.1992 तक चोरी के संदेह में नंदगोपाल नामक व्यक्ति को पुलिस स्टेशन अन्नामलाई नगर में गलत तरीके से पुलिस हिरासत में रखा और लाठियों से पीट पीटकर उसकी हत्या कर दी और उसकी पत्नी पद्मिनी के साथ बर्बरतापूर्वक सामूहिक बलात्कार भी किया। आरोपियों ने कई अन्य व्यक्तियों (जो गवाह थे) को भी थाने में बंद कर दिया और लाठियों से पीटा।

5. ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने अपीलकर्ताओं को दोषी पाया है और हमें उनके फैसले से असहमत होने का कोई कारण नहीं दिखता है। आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 37 गवाहों से पूछताछ की और उन्होंने उचित संदेह से परे आरोपियों का अपराध साबित कर दिया।

6. प्रदर्श 1 पद्मिनी ने अपने साक्ष्य बहुत विस्तार से दिए हैं और हमें उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखता है। हमने उसके साक्ष्य पढ़े हैं जो उस अमानवीय और बर्बर तरीके का खुलासा करते हैं जिसमें आरोपीए जो पुलिसकर्मी थे ने नंदगोपाल और पद्मिनी के साथ व्यवहार किया। हम उसकी गवाही के केवल कुछ अंश उद्धृत कर सकते हैं जो इस प्रकार हैं :

> "रविवार को दोपहर करीब एक बजे दो पुलिसकर्मी ऑटो से मेरे घर आए। वे ए3, ए6 और ए8 हैं। उन सभी ने मेरे नितंबों पर लाठियों से पिटाई की। ए3 ने मेरा पैर पकड़

लिया और मुझे खींचते हुए कहा कि ऑटो में बैठ जाओ। मैं बाहर भागा। दो ऑटो आए और एक ऑटो में सुब्रमण्यम और नंदगोपाल संयुक्त रूप से हथकड़ी लगाए बैठे थे। दर्द सहन नहीं कर पाने के कारण मैं उनके पास बैठ गया। ऑटो अन्नामलाई नगर पुलिस स्टेशन गया और उन्होंने मुझसे पूछा अंदर जाने के लिए और मैं अंदर गई। ए 6 ने मुझे पीटा। मैं 4 ए 5 लोगों से घिरी हुई थी जो मुझे मार रहे थे। उस समय मेरी जैकेट ;ब्लाउजद्ध फट गई थी। किसी ने मेरी जैकेट फाड़ दी और मुझे याद नहीं है कि जिन्होंने उस जैकेट को फाड़ दिया। उन्होंने कहाए श्तुम अब और सहन नहीं करोगे और जाकर बैठ जाओ। मैं उस कोनेे में बैठ गई जहां हेड़ कान्स्टेबल पहले से बैठे थे। कुछ समय बाद वहां दो महिला पुलिसकर्मी आई। यह सोचकर कि ये मुझे छोड़ देंगी। श् मैंने उनसे कहा कि मैंने ओलियंडर के बीज लिए हैंए इसके लिए महिला पुलिस ने मुझे पानी में इमली और साबुन मिलाकर दिया और पीने को कहा। उस रात मैं और महिला पुलिस उस कमरे में लेटे हुए थेए जहां पुलिस उपनिरीक्षक थे। बैठे और सुबह होते ही महिला पुलिस निकल पड़ीण मे मेरे पति की बहन की बेटी जिसका नाम प्रिया है उसने कॉफ़ी दी। मैं कुछ भी बात कर सकता थाण मैंने इड़ली खायीण मे ण मेरे पति ने मुझसे कहा कि

तुम यहां क्यों आ रही होए वे मुझे प्रताड़ित कर रहे हैंए मैंने उससे कहा कि वे कुछ नहीं करेंगे और तुम्हें आज़ाद कर देंगे।

तभी एक पुलिस वाला आया और बोला तुम उससे क्या बात कर रहे हो और इतना कहकर उसने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। 6ए ने मेरे पति को पीटा और हवालात में बंद कर दिया। सुब्रमणि कोलांची और सुब्रमण्यम भी हवालात में थे। फिर मुझे अच्छा खाना दिया गया और मेरे पति को बेकार खाना दिया गया। इसलिए मैंने अपना खाना नंदगोपाल को दे दिया इसके लिए।1 ने कहा कि आपको वह भोजन लेना चाहिए और अच्छा होना चाहिए और आपने उसे यह क्यों दिया। इतना कहकर उसने मुझे लाठी से पीटा। शाम को सबने मिल कर आपस में विचार विमर्श किया और कहा कि पार्टी देने के लिए सभी को 50.50 रुपये देने होंगे। एक पुलिस वाले ने पूछा कि किस मकसद से पार्टी दे रहे हो तो एक पुलिस वाले ने उसके कान में कुछ कहा था। यह सुनकर उसने पूछा कि क्या तुम अपनी बहनों से पैदा नहीं हुए हो और इतना कहकर वह वहां से चला गया। सोमवार रात करीब आठ बजे नंदगोपाल को हवालात से बाहर लाया गया। ए 6 ने कहा कि वह देखे कि किसी को मेरी साड़ी

उतारनी है। उसने हवालात से आरोपी कोलांची को बुलाया और कहा कि मेरी साड़ी उतार दो।उसने मेरा पल्ला पकड़ रखा थाए लेकिन मैंने उसे छोड़े बिना कस कर पकड़ रखा था। उक्त कोलांची ने कहा कि वह इसे न खींचे। देखते ही देखते पहले आरोपी ने उसे लाठी से पीटा। फिर उसे पीटने के बाद खुले कोर्ट यार्ड के किनारे जाने को कहा तुरंत ए 3 मेरी साड़ी उतारने आया। ए 3 ने मेरी पूरी साड़ी उतार दी उस वक्त मैं पेटी कोट और जैकेट पहने हुए था।1 ए ए 3 । 6 ए ।8 और ।10 ने मेरी जैकेट और छोटा कोट उतार दिया और मुझे नग्न कर दिया। उन्होंने मुझसे कोर्ट परिसर में भागने को कहा और मुझे पीटा और मैं गिर गया। पांचों आरोपियों ने एक.एक करके मुझे शर्मिंदा किया और मुझे चूमा तभी मैं गिर गया तभी एक ने कहा तुम्हारा प्राइवेट पार्ट साइज में बड़ा हैए तुम यह दर्द सहन नहीं कर सकती। मैं रोया और उससे पिटाई बंद करने के लिए कहा। उसी समय किसी मुक़दमे के सिलसिले में कोई वहाँ आया। उन्होंने कहा कि ये बात बाहर किसी से मत कहना मैंने शरीर पर साड़ी लपेट ली और बैठ गयी तभी वहां दो महिला पुलिस आ गयी मैंने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि इसके बाद तुम्हें कोई नहीं मारेगा और मैं उनके साथ एक कमरे में लेटने चला गया मंगलवार को सुबह.सुबह

सेंथिल नामक व्यक्ति आया और कॉफी लेकर आया। सेंथिल मेरे पति की बहन का बेटा है। उस शाम मेरे पति को बाहर ले जाया गया और रानीए दंडपाणि के साथ पुलिस स्टेशन लाया गया। रानी नंदगोपाल की छोटी बहन हैं। दण्डपाणि रानी के पति हैं। जब दंडपाणि से टेप रिकॉर्डर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उस दुकान का बिल दिखाया जहां से उन्होंने इसे खरीदा था। इस पर पुलिस ने कहा श्झूठ क्यों बोल रहे हो कल हमने नंदगोपाल की पत्नी की साड़ी उतार कर देखी और उचित होगा कि हम तुम्हारी पत्नी की साड़ी उतार दें उस समय नंदगोपाल की पीठए पैर और कंधे पर चोट के निशान थे और खून की धारियां बह रही थीं ऐसा पुलिस ने बताया पुलिस की पिटाई से मेरे पति को चोट लगी ।1ए ।3ए ।6ए ।8 और ।10 ने मेरे पति को पीटा। फिर पुलिस ने रानी और दंडपाणि को अपने घर जाने को कहा मंगलवार रात दो महिला पुलिस थाने आईं। वे आपस में बात कर रहे थे कि रात में रुकने के लिए कोई कपड़े लाये हैं या नहीं उनके साथ एक पुरुष पुलिस भी आया और पूछा कि क्या उन्होंने तमिल फिल्म श्सेम्बारूथीश् देखी है। मैंने उनसे कहा कि वे मुझे अकेला न छोड़ें और मुझे अपने साथ ले जाने को कहा। उन्होंने कहा कि वे कुछ नहीं करेंगेए इतना कहकर वे दोनों महिला पुलिस बाहर चली गईं। मैं उन

पुलिसवालों को ठीक से नहीं पहचान सकती और उनके नाम भी मुझे याद नहीं हैं मंगलवार की रात करीब साढ़े दस बजे मेरे पति नंदगोपाल को हवालात से खुले प्रांगण में लाया गया मुझे और नंदगोपाल को खुले प्रांगण के सामने एक कमरे में लाया गया। मेरे पति को दीवार पर खड़ा करके रखा गया और उनके साथ मारपीट की गई। ए 6 धस ने री साड़ी खींच दी। 10 ने मेरी जैकेट और छोटा कोट उतार दिया और मुझे नग्न कर दिया और मुझे पीटा गया और नीचे धकेल दिया गया। मेरा पैर एक बेंच में फंस गया था और मैं उसे हटा नहीं सका। उसी समय दूसरा आरोपी पुलिस उपनिरीक्षक अन्नामलाई नगर पुलिस स्टेशन आया उन्होंने कहा कि वह पहले जायेंगे उस वक्त उसने गुप्तांग पर रबर का फंदा लगाया और मेरे साथ दुष्कर्म किया। 2 ए । 3 ए ।6 ए ।8 और ।10 ने भी मेरे साथ जबरन रेप किया इन सभी में रबर लूप का प्रयोग किया गया है। उन सभी ने मेरे पति की मौजूदगी में मेरे साथ बलात्कार किया उस समय मेरे पति नंदगोपाल ने उनसे अनुरोध किया कि वे मेरी पत्नी को नुकसान न पहुंचाएं और उसे छोड़ दें उस समय ए 6 ने नंदगोपाल के गुप्तांग पर लाठी से प्रहार किया। वह गिर पड़ा। उसने इशारे से पानी माँगा। उस समय शरीर पर साड़ी लपेटने के बाद मैंने लोटे से पानी लिया तभी उक्त

पांच पुलिस वालों ने मुझे घेर लिया और कहा कि नंदगोपाल को पानी पिलाना है तो सबको चुम्मा दे दो। फिर मैंने पांचों को किस दे दी जब मैं अपने पति के लिए पानी लेने गयी उन्होंने इसे फेंक दिया वह नीचे गिर गया मुझे फिर से खराब करने के इरादे से उन्होंने मुझे खींच लिया और मैंने कहा कि मैं नहीं आ सकती और मुझे छोड़ दो इतना कहकर मैं बैठ गयी जब ए 6 आया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं उसके पैर पर गिर गया और काट लिया। संभोग के कारण मुझे स्तन और जननांग अंग पर रक्तस्राव की चोटें लगीं और फिर मैं बेहोश हो गई। होश आने पर जब मैं उठा तो कपड़े आधे लिपटे हुए थे। मैंने कहा कि मैं अपने पति से मिलना चाहती हूं। मुझे यह कह कर बाहर लाया गया कि मेरे पति को कोर्ट भेजा गया है एक पुलिसकर्मी ने मुझे वैन में बैठने के लिए कहा। मुझे चिदम्बरम पुलिस स्टेशन में रखा गया उन्होंने मुझे इडली और कॉफ़ी ऑफर की मैंने उसे खा लिया। एक महिला पुलिस मेरे साथ थी बाकी सभी पुलिसकर्मी लाठियां लेकर निकल गये मेरे साथ मौजूद महिला पुलिस ने कहा कि छात्रों का आंदोलन था और अन्नामलाई नगर पुलिस स्टेशन में किसी की हत्या कर दी गई थी। मैं रोयी और फिर मुझे छोड़ दिया गया। मैंने मरियम्मन मंदिर में ऑटो वाले से

मुझे ऑटो में ले जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं नंदगोपाल की पत्नी हूंए मैंने कहा हां उन्होंने कहा कि नंदगोपाल को पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया और मुझसे वहां न जाने को कहा फिर मैं ऑटो से कोर्ट गया इस घटना के बारे में कोर्ट में बात की गई फिर मैं तुरंत तहसीलदार के ऑफिस गया मैंने बताया कि वहां क्या हुआ था। अधिकारी कार्रवाई करने गए हैं और उन्होंने मुझे यहां रहने के लिए कहा है मैं वहीं बैठा था मैं एक जीप में अन्नामलाई नगर पुलिस स्टेशन गया। वहां भीड़ लगी थी मैंने रोते हुए कहा कि न केवल मेरे साथ पांच लोगों ने बलात्कार किया बल्कि उन्होंने मेरे पति के साथ भी मारपीट की और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मेरे साथ बलात्कार करने वाले पुलिसकर्मियों में से एक वहां खड़ा था। मैंने उसे चप्पल से पीटा वह ।10 है आरडीओ वहां थे उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था और मैंने बताया कि क्या हुआ था मैं बेहोश होकर गिर पड़ा फिर मुझे अस्पताल ले जाया गया दोपहर करीब एक बजे एक पुरुष डॉक्टर ने मेरी जांच की फिर मैं अन्नामलाई नगर पुलिस स्टेशन आया और अपना बयान दिया। वह उनके द्वारा रिकॉर्ड किया गया था ण्च्ण्1 आरडीओ द्वारा टाइप किया गया विवरण है और उसमें मेरे हस्ताक्षर प्राप्त किए गए हैं।फिर मैं अपनी सास के घर गयी

नंदगोपाल मृत पड़े थे। मैं रो रही था उस समय बालाकृष्णन जानकी रानी और राजनेता वहां आए। मैंने उनसे कहा क्या हुआ था। बालाकृष्णन कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव हैं जानकी रानी चिदम्बरम में अखिल भारतीय मधार संगम की अध्यक्ष हैं। जानकी रानी बालाकृष्णन की पत्नी हैं। मैंने आरडीओ को एक याचिका दी कि मुझे अस्पताल यानी एक्सपी 2 में भेजा जाए। रात करीब 11 बजे मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगले दिन सुबह करीब 7 या 7.30 बजे एक महिला डॉक्टर ने मेरी जांच की अस्पताल से आने के बाद गुरुवार शाम को मेरे पति को दफनाया गया 5.6.1992 को मैंने जिला पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र भेजा। मेरे घर आने के बाद एक पुलिस अधिकारी मेरे घर आये। मैंने उसे बता दिया है कि क्या हुआ था।".....

7. पद्मिनी ने यह भी कहा :

....."दो पुलिस वालों ने मुझे रेस्ट रूम में आने को कहा। तभी उसी समय बिना वर्दी के तीन पुलिसवाले अंदर आ गए। फिर मैं हवालात के सामने रोई जहां मेरे पति थे वह मुझे बुला रहे हैं यह कहते हुए अंदर ही रह गए लेकिन मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। मेरे पति को हथकड़ी लगाकर ताले से खुले कोर्ट प्रांगण में लाया गया। मैंने घुटनों

के बल बैठकर पुलिस से गुहार लगाई। उस समय सुब्रमण्यम ने उनसे कहा कि वे कुछ न करें। मेरी बहन और मेरे दोस्त को मत मारो। फिर उन्होंने जैकेट और साड़ी उतार दी और मुझे खुले आँगन में नग्न कर दिया और मेरे स्तन को दबाया और काटा और बुजुर्ग पुलिस ने मेरे गुप्तांग पर छड़ी से मारा और कहा कि यह बहुत है बड़ा और मुझे देखना होगा कि यह कब तक चलेगा। पुलिस वाले मुंह से ब्रांडी की गंध सूंघते हुए आए। मेरे पति को ताले से बाहर ले जाते समय पीटा गया ऊपर और मुझे और मेरे पति को एक कमरे में रखा गया जहां चावल के बैग रखे गए थे। मुझे नग्न होने के लिए मजबूर किया गया था। मेरे पति ने हथकड़ी के साथ पुलिस से उसे छुड़ाने के लिए गुहार लगाई। पुलिस ने मेरे पति की छाती पर लात मारी आज रात ही तुम जीवित रहोगे और चाहो मजा ले सकते हो। इतना कहकर उन्होंने उस पर बंदूक से वार कर दिया। उस समय सब.इंस्पेक्टर ने कहा कि मेरे कहने पर ही अन्य लोग ऐसा कर सकते हैं क्योंकि मैं यहां का अधिकारी हूं इसलिए मैं पहले करूंगा और अन्य बाद में कर सकते हैं और ऐसा कहकर उसने मेरे साथ बलात्कार किया। मैंने शोर मचाते हुए कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है और उनसे मुझे छोड़ने के लिए कहा और बाकी पुलिसकर्मी मेरे पति को पीट

रहे थे मेरे पति ने उनसे अपने ऊपर लगाई गई हथकड़ी हटाने को कहा उन्होंने ऐसा नहीं किया काम खत्म करने के बाद सब इंस्पेक्टर चले गए और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहा और देखा कि कोई आ तो नहीं रहा है और उन्हें काम खत्म करने के लिए कहा। मुझे उल्टा लेटने को कहा गया उनमें से एक ने मेरा पैर पकड़ रखा था और दूसरे ने हाथ पकड़ रखा था और दूसरा मेरे ऊपर लेट गया और मेरे साथ संभोग कर रहा था। यूँ तो पाँचों लोगों ने मुझे बिगाड़ दिया।''

8. हमें पद्मिनी के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखता। आमतौर पर कोई भी स्वाभिमानी महिला अपने सम्मान के खिलाफ ऐसा अपमानजनक बयान देने के लिए अदालत में आगे नहीं आएगी।

9. अभियुक्त के विद्वान वकील ने उसके साक्ष्य में कुछ विसंगतियों का उल्लेख कियाए लेकिन यह अच्छी तरह से स्थापित है कि छोटी विसंगतियां अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता को नष्ट नहीं कर सकती हैं। हमारी राय में अभियोजन मामले में कोई बड़ी विसंगति नहीं हैए जो पद्मिनी की गवाही के अलावा घायल गवाहों सहित बड़ी संख्या में गवाहों के साक्ष्य से समर्थित हैए जिन्होंने 13.8.1992 को आयोजित पहचान परेड में आरोपी की पहचान की थी। सेंट्रल जेल कुड्डालोर में हालाँकि ए 10 की

पहचान उसने नहीं की थी लेकिन उच्च न्यायालय ने उसे दोषी ठहराने के लिए अच्छे कारण भी दिए हैं और हम उससे सहमत हैं।

10. पद्मिनी की जांच करने वाले मेडिकल ऑफिसर को उसके स्तनों पर नाखून की कई खरोंचें मिलीं। उसने अपने प्राइवेट पार्ट में तेज दर्द की शिकायत की। उसकी योनि और गर्भाशय ग्रीवा पर कई खरोंचें थीं और दुर्गंधयुक्त तरल पदार्थ निकल रहा था। उसके योनि स्मीयर के रासायनिक विश्लेषण में प्रचुर मात्रा में मवाद कोशिकाएँ और एपिथेटिकल कोशिकाएँ दिखाई दीं। डॉक्टरों ने सुब्रमण्यम और चिदंबरनाथन की भी जांच की जिन्हें आरोपी पुलिसकर्मियों ने लाठियों से पीटा था।

11. हमने सत्य नारायण तिवारी/जॉली और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य जेटी 2010 (12) एससी 154 और सुखदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य एसएलपी (आपराधिक) संख्या 8917/2010 में 12.11.2010 को अधिनिर्धारित किया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध क्रोध या संपत्ति के लिए किए गए सामान्य अपराध नहीं हैं। ये सामाजिक अपराध हैं। वे पूरे सामाजिक ताने बाने को बाधित करते हैं और इसलिए वे कठोर दंड की मांग करते हैं।

12. पुलिसकर्मियों द्वारा पद्मिनी के साथ जिस भयानक तरीके से व्यवहार किया गया वह चौंकाने वाला और नृशंस था और किसी भी दया की आवश्यकता नहीं थी।

13. नंदगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निम्नलिखित चोटें दिखाई गई हैं :

"I. एक रस्सी जैसा संयुक्ताक्षर चिह्न गर्दन के मध्य भाग को ऊपर की ओर तिरछा घेरता है। एम दाएं से बाएं गर्दन पर और दाहिनी गर्दन पर गांठ जैसा निशान। (आकार लगभग चौड़ाई में 1/2 व ओ रस्सी का निशान)। मध्य पार्श्व पहलू निचली त्वचा का रंग सूखा चर्मपत्र है।

II. बाएं गाल पर 1 X 1 सेमी का घर्षण।

III. दाएं कूल्हे के अगले भाग पर 3 X 1 सेमी का घर्षण।

IV. बाएं पैर के मध्य पूर्वकाल में 2 X 1 सेमी का घर्षण।

V. दाहिने पैर के मध्य पूर्वकाल में 3 X 1 सेमी का घर्षण।

VI. बाएं हाथ के कंधे के पीछे 2 X 1 सेमी का घर्षण निचला।

VII. दाहिने हाथ के कंधे के पीछे 2 X 1 सेमी का घर्षण निचला।

VIII. बाईं कोहनी पर 2 X 1 सेमी का घर्षण पूर्व चिकित्सा।

IX. दाहिनी कोहनी के निचले हिस्से में 2 X 1 सेमी का घर्षण।

X. दाएं अंडकोश के निचले भाग में 2 X 1 सेमी का घर्षण पार्श्व मोटोमा के नीचे की कोई भी चोट मृत्यु पूर्व प्रकृति की नहीं होती।

XI. दांतों के बीच में जीभ काटी हुई आंशिक रूप से बाहर निकली हुई।

पोस्टमार्टम प्रमाणपत्र में डॉक्टर की अंतिम राय शामिल है कि नंदगोपाल की मृत्यु पोस्टमार्टम से लगभग 10 से 24 घंटे पहले असामान्य फांसी के कारण दम घुटने से हुई थी।"

14. उपरोक्त चोटें दर्शाती हैं कि पुलिस हिरासत में नंदगोपाल को किस भयानक तरीके से पीटा गया और मार दिया गया। पद्मिनी ने अपनी गवाही में कहा कि रविवार की शाम को, "चार पुलिसकर्मियों ने मेरे पति को लाठियों से पीटा। उन्होंने मेरे पति की छाती पर जूते मारे।" उन्होंने यह भी कहा "उस समय (नंदगोपाल के) पिछले पैर और कंधे पर रक्तस्राव की चोटें थीं और खून बह रहा था और पट्टी के रूप में पाया गया था।" यहां तक कि जब पुलिसवालों द्वारा उसके साथ बलात्कार किया जा रहा था तब भी नंदगोपाल को पीटा गया था।

15. हमें आश्चर्य है कि आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप नहीं लगाए गए और इसके बजाय निचली अदालतों ने नंदगोपाल की मौत को आत्महत्या माना। वास्तव में उन पर उस प्रावधान के तहत आरोप लगाया जाना चाहिए था और उन्हें मौत की सजा दी जानी

चाहिए थीए क्योंकि पुलिस हिरासत में पुलिसकर्मियों द्वारा की गई हत्या हमारी राय में मौत की सजा के योग्य दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में हैए लेकिन आश्चर्य की बात है कि आईपीसी की धारा 302 के तहत किसी अभियुक्त के खिलाफ कोई आरोप तय नहीं किया गया था। हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों इस संबंध में अपने कर्तव्य में विफल रहे हैं।

16. पूरी घटना अन्नामलाई नगर पुलिस स्टेशन के परिसर में हुई और आरोपी किसी भी दया के पात्र नहीं हैं।

17. इस अपील में अपीलकर्ता क्रमांक 1 को 3 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा दी गई है जबकि अन्य अपीलकर्ताओं को 10 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा दी गई है।

18. सामान्य प्रक्रिया में हम सज़ा बढ़ाने का नोटिस जारी कर सकते थेए लेकिन चूँकि आईपीसी की धारा 302 के तहत कोई आरोप तय नहीं किया गया थाए हम सीधे उस प्रावधान के तहत दोषसिद्धि दर्ज नहीं कर सकते और सज़ा नहीं बढ़ा सकते।

19. उपरोक्त कारणों से यह अपील खारिज की जाती है।

20. इस मामले से अलग होने से पहलेए हम एक बार फिर दोहराते हैं कि पुलिस हिरासत में हिंसा डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 (1) एससीसी 416 मामले में इस न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन है और हम देश के सभी पुलिसकर्मियों को चेतावनी देते हैं कि इसे बर्दाश्त नहीं

किया जाएगा। इस मामले में अभियुक्तों के बर्बर आचरण का सचित्र वर्णन हमारी अंतरात्मा को झकझोर देता है। पुलिसकर्मियों को सीखना चाहिए कि एक लोकतांत्रिक देश में लोक सेवक के रूप में कैसे व्यवहार किया जाए न कि लोगों पर अत्याचार करने वाले के रूप में।

21. डी.के बसु के मामले में इस न्यायालय ने कहा :

> ....."हिरासत में हिंसा, जिसमें हवालात में यातना और मौत शामिल है, कानून के शासन पर आघात करती है जो मांग करती है कि कार्यपालिका की शक्तियां न केवल कानून से प्राप्त होनी चाहिए बल्कि इसे कानून द्वारा सीमित किया जाना चाहिए। हिरासत में हिंसा चिंता का विषय है। यह इस तथ्य से और गंभीर हो जाता कि यह उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्हें नागरिकों का संरक्षक माना जाता है। यह वर्दी और प्राधिकार की आड़ में किया जाता है एक पुलिस स्टेशन या लॉकअप की चार दीवारों में पीड़ित पूरी तरह से असहाय है। पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा यातना और दुर्व्यवहार से किसी व्यक्ति की सुरक्षा एक स्वतंत्र समाज में गहरी चिंता का विषय है।
>
> किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा के उद्देश्य से संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के बावजूदए पुलिस हिरासत में यातना और मौतों की बढ़ती

घटनाएं एक परेशान करने वाला कारक रही हैं। अनुभव से पता चलता है कि मानवाधिकारों का सबसे बुरा उल्लंघन अनुसंधान के दौरान होता है। जब पुलिस सबूत या स्वीकारोक्ति सुरक्षित करने के उद्देश्य से अक्सर यातना सहित तीसरी डिग्री के तरीकों का सहारा लेती है और गिरफ्तारी को दर्ज न करके या उसका वर्णन न करके गिरफ्तारी की जांच करने की तकनीक अपनाती है। केवल लंबी पूछताछ के रूप में स्वतंत्रता से वंचित करना। लगभग प्रतिदिन सुबह के अखबारों में पुलिस या अन्य सरकारी एजेंसियों की हिरासत में अमानवीय यातनाए हमले, बलात्कार और मौत की खबरें पढ़ना वास्तव में निराशाजनक है।हिरासत में यातना और मौत की बढ़ती घटनाओं ने इतना खतरनाक रूप ले लिया है कि यह कानून के शासन और आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन की विश्वसनीयता को प्रभावित कर रहा है। समुदाय उचित रूप से परेशान महसूस करता है। न्याय के लिए समाज की पुकार तेज़ हो जाती है।

कानून के शासन द्वारा शासित सभ्य समाज में हिरासत में मौत शायद सबसे खराब अपराधों में से एक है। संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 (1) में निहित अधिकारों को ईर्ष्या और ईमानदारी से संरक्षित करने की आवश्यकता है। हम

समस्या से छुटकारा नहीं पा सकते। किसी भी प्रकार की यातना या क्रूर अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार संविधान के अनुच्छेद 21 के निषेध के अंतर्गत आएगा ए चाहे वह जांचए पूछताछ या अन्यथा के दौरान हो। यदि सरकार के पदाधिकारी कानून तोड़ने वाले बन जाते हैंए तो इससे कानून के प्रति अवमानना पैदा होगी और अराजकता को बढ़ावा मिलेगा और प्रत्येक व्यक्ति में खुद ही कानून बनने की प्रवृत्ति होगीए जिससे अराजकता को बढ़ावा मिलेगा। कोई भी सभ्य राष्ट्र ऐसा होने की अनुमति नहीं दे सकता। क्या किसी नागरिक को पुलिसकर्मी द्वारा गिरफ्तार करते ही वह जीवन के अपने मौलिक अधिकार से वंचित हो जाता है क्या किसी नागरिक की गिरफ्तारी पर उसके जीवन के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। ये प्रश्न मानवाधिकार के न्यायशास्त्र की रीढ़ की हड्डी को छूते हैं। वास्तव में इसका उत्तर जोरदार 'नहीं' होना चाहिए।".....

(जोर दिया गया)

22. इस आदेश की एक प्रति सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को भेजी जाएए जो इसे एस.एच.ओ. स्तर तक के सभी पुलिस अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रसारित

करेंगे कि वे दिए गए निर्देशों का पालन करें। डी.के. बसु के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा और हिरासत में हिंसा के लिए कठोर दंड दिया जाएगा।

अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नरेन्द्र मीणा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।